कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी हरिद्वार

पत्रांकः 1352/गोसदन-ई.ओ.आई./2026-27/ दिनांकः 04 अगस्त, 2026

-: विज्ञप्ति :-

सर्वसाधारण सूचति किया जाता है कि नगर निगम रूड़की द्वारा जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत निराश्रित, वृद्ध, बीमार, विकलांग, परित्यक्त गौवंश एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गौ-तस्करों से बचाये गये केस प्रोपटी गौवंश को शरण दिये जाने हेतु निम्न स्थान पर गौशाला / गोसदन की स्थापना की जा चुकी है।

क्रमांक	कार्यदायी स्थानीय निकाय का नाम	गोसदन का पता	गौशाला की क्षमता
1.	नगर निगम रूड़की	ग्राम सलियर इब्राहिम देह, रूड़की	50 गोवंशीय पशु

शासनादेश ई पत्र संख्या 909/**XV**-1/25/63495 दिनांक 2 जून 2025, शासनादेश संख्या 36254/**XV**-1/23/7(14)22 दिनांक 26 जून 2023 एवं निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1658-62/**UAWB** (204 **Main file**)/2025-26 दिनांक 24 जुलाई 2025 के अनुरूप उपरोक्त गौशाला/ शरणालय में निराश्रित गोवंश के भरण पोषण, सेवा सुश्रुषा एवं प्रबंधन कार्यों का सम्पादन पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन गठित भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड (**AWBI: Animal Welfare Board of India**) अथवा उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत गौकल्याण हेतु मान्यता प्रदत्त गैर सरकारी संस्थाओं/ एन०जी०ओ० के माध्यम से किया जाता है। इन संस्थाओं द्वारा अभिरूचि की अभिव्यक्ति (**Expression of Intrest**) प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त जिला स्तरीय समिति के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक एवं तुलनात्मक परीक्षण कर नगर निगम रूड़की की ग्राम सालियर इब्राहिमपुर देह स्थित 50 गोवंश क्षमता वाले गोसदन के संचालन हेतु गैर सरकारी संस्था/ एन०जी०ओ० का चयन किया जाएगा। इस क्रम में अभिरूचि की अभिव्यक्ति की शर्तें एवं नियमों का विवरण (**Annexure B**) एवं निर्धारित आवेदन प्रपत्र (**Annexure A**) कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, कक्ष संख्या 45, प्रथम तल, विकासभवन, रोशनाबाद-हरिद्वार से अथवा पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट **https://ahd.uk.gov.in** एवं सूचना विज्ञान विभाग जनपद हरिद्वार की अधिकारिक वेबसाइट **https://haridwar.nic.in** से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं। समस्त इच्छुक आवेदक संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र वांछित संलग्नकों सहित दिनाँक 17 अगस्त 2026 अपराह्न 4:00 बजे तक कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी हरिद्वार कक्ष संख्या 45 में अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से जमा किये जा सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी
हरिद्वार

मुख्य विकास अधिकारी
हरिद्वार

जिलाधिकारी
हरिद्वार

प्रेषक

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
हरिद्वार।

सेवा में,

ब्यूरो चीफ
दैनिक समाचार पत्र
अमर उजाला/दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान, हरिद्वार।

पत्रांक 1352/गोसदन–ई०ओ०आई०/2026–27/ दिनांकः 04 अगस्त 2026

विषय– स्वीकृत शासकीय दरों पर विज्ञापन प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत करना है कि शासनादेश संख्या 36254/XV–1/23/7(14)22 दिनांक 26 जून 2023, उत्तराखण्ड शासन के ई–पत्र संख्या 909/XV–1/25/63495 दिनांक 2 जून 2025, शासनादेश संख्या 1378/XV–1/2025–89844, शासनादेश संख्या 67/XV–1/23/7(14)22/36254 दिनांक 16 जनवरी 2024, एवं निदेशक पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 1658–62/ UAWB (204 Main file)/ 2025-26 दिनांक 24 जुलाई 2025 के अनुपालन में प्रदेश के स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित गोसदनों को मान्यता प्रदत्त गैर सरकारी पशु कल्याण संस्थाओं के माध्यम से संचालित कराया जाता है। तदक्रम में नगर आयुक्त, नगर निगम रूड़की के पत्र संख्या 93/नी.अनु/न.नि.रू/2026–27 दिनांक 24–04–2026 के क्रम में नगर निगम रूड़की के अन्तर्गत सालियर इब्राहिमपुर देह क्षेत्र में निराश्रित गौवंश हेतु निर्मित गोसदन का संचालन मान्यता प्रदत्त गैर सरकारी पशु कल्याण संस्थाओं/एन०जी०ओ० के माध्यम से कराये जाने के लिए इच्छुक संस्थाओं से आवेदन प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से अभिरूचि की अभिव्यक्ति आंमत्रण (Invitaion for Expression of interest) हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जानी है।

उक्त के क्रम में विज्ञप्ति का अध्यक्ष जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रमाणित आलेख संलग्न कर प्रेषित है। कृपया स्वीकृत डी०ए०वी०पी० दरों पर जनहित में प्रदेश स्तर के अपने दैनिक समाचार पत्र संस्करण में निम्नानुसार विज्ञप्ति प्रकाशित कर सूचना विभाग से बिल प्रमाणित कराते हुये समाचार पत्र की कटिंग संलग्न करके दो प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विज्ञप्ति का प्रकार	त्रुटि रहित श्वेत श्याम विज्ञप्ति
बिल की अधिकतम स्वीकार्य सीमा	रू० 4000/–

(संलग्न– संलग्नक A,संलग्नक B एवं उपरोक्तानुसार पत्रों एवं शासनादेशों की प्रतियां)

(डा० एस०सी० जोशी)
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/तकनीकी सदस्य,
जनपद स्तरीय समिति हरिद्वार

पत्रांक 1352/उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र, रोशनाबाद, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ कि कृपया विज्ञप्ति, संलग्न आवेदनपत्र (संलग्नक A) और इच्छुक आवेदक संस्थाओं हेतु नियम व शर्तें तथा शासनादेश संख्या 909/XV–1/25/63495 दिनांक 2 जून 2025 एवं शासनादेश संख्या 1534 दिनांक 14 अगस्त 2025 के अनुरूप राजकीय अनुदान से पूर्व अनुबंध की शर्ते (संलग्नक B) एवं उपरोक्तानुसार पत्रों एवं शासनादेशों की प्रतियों को एन०आई०सी० हरिद्वार की वेबसाईट पर प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।
2. वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी रूड़की/(सदस्य, विकासखण्ड स्तरीय समिति रूड़की)।
3. संयुक्त मजिस्ट्रेट, रूड़की/(अध्यक्ष विकासखण्ड स्तरीय समिति, रूड़की) हरिद्वार।
4. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि उक्तानुसार पशुपालन विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम रूड़की।
6. मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/तकनीकी सदस्य,
जनपद स्तरीय समिति हरिद्वार।

सरकारी भूमि पर नवनिर्मित गोसदन के संचालन हेतु (Category 1& Category2) मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था से अनुबन्ध किये जाने हेतु अर्हतायें/शर्ते

1. नवनिर्मित गोसदन के संचालन हेतु अनुबन्ध की जाने वाली गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था का उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड अथवा भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के अधीन पंजीकरण होना अनिवार्य होगा।

2. गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था, अलाभकर गोवंश (वृद्ध बीमार, विकलांग, अनुत्पादक निराश्रित एवं पुलिस–प्रशासन द्वारा गोतस्करों से जब्त किये गये न्यायिक प्रकरणाधीन केस प्रॉपर्टी गोवंश) को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जिला स्तरीय समिति उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रख्यापित नियमावलियों/संशोधन आदेशों तथा तद्क्रम में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत/जारी होने वाले शासनादेशों में वर्णित कानूनी प्राविधानों के अनुपालन हेतु बाध्य होगी।

3. राजकीय सहायता/भरण पोषण हेतु अनुदान केवल वृद्ध बीमार, विकलांग, अनुत्पादक निराश्रित एवं पुलिस–प्रशासन द्वारा गोतस्करों से जब्त किये गये न्यायिक प्रकरणाधीन केस प्रॉपर्टी गोवंश हेतु देय होगा। उत्पादक गोवंशीय पशुओं हेतु राजकीय अनुदान देय नहीं होगा।

4. गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा पूर्व से संचालित कांजी हाउस/गोशाला शरणालय संचालन हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से आवेदन।

5. जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण/समीक्षा एवं अनुशंसा की जाएगी।
6. अर्हताएँ पूर्ण करने के उपरान्त गोसदन संचालन हेतु गैरसरकारी संस्था का चयन किया जाएगा।
7. गैरसरकारी संस्था के साथ गोसदन संचालन हेतु समिति द्वारा स्वतः स्पष्ट अनुबन्ध किया जाएगा।
8. गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था, भूमि की उपलब्धता अनुसार (प्रतिपशु कवर्ड एरिया 40 वर्गफुट/प्रतिपशु ओपन + कवर्ड एरिया 150 वर्गफुट) निर्धारित गोवंश की संख्या के बराबर अलाभकर गोवंश को शरण देने हेतु प्रतिबद्ध होगी। तद्क्रम में संस्था, पुलिस प्रशासन/स्थानीय निकाय अथवा अन्य प्राधिकारियों के द्वारा गोसदन में भेजे गये गोवंश को शरण दिये जाने हेतु बाध्य होगी।
9. आवेदक संस्था, समस्त शरणागत गोवंश की भली प्रकार देख–रेख, भरण पोषण हेतु, राजकीय आंशिक सहायता/भरण–पोषण अनुदान के अतिरिक्त समस्त अवशेष व्ययों को निर्वहन कर पाने में सक्षम, कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध होगी।
10. सम्बन्धित जनपद की जनपद स्तरीय समिति द्वारा अनुबन्ध की जा रही संस्था से रू0 100/– के अनुबन्ध पत्र में समस्त शर्तों को उल्लिखित करते हुए अनुबन्ध किया जायेगा। जिसमें भरण–पोषण मद में दी गयी राजकीय अनुदान धनराशि को शरणागत गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण हेतु ही उपयोग में लाया जायेगा।
11. जनपद स्तरीय समिति द्वारा अनुबन्ध की जा रही गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था से न्यूनतम 10 वर्षों के लिए अनुबन्ध किया जायेगा। अनुबन्ध अवधि में संस्था का कार्य उत्कृष्ट पाये जाने पर अनुबन्ध अवधि में वृद्धि (अनुबन्ध नवीनीकरण) जनपद स्तरीय समिति द्वारा की जा सकेगी।
12. गोसदन संचालन में असमर्थता की दशा में अनुबन्धित संस्था द्वारा जिला स्तरीय समिति को तीन माह पूर्व सूचित करना अनिवार्य होगा ।

13. गोवंश प्रबन्धन/लेखा परीक्षण/भू उपयोग में अनियमितता पाये जाने पर उत्तराखण्ड शासन/उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड/जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय अनुबन्धित संस्था को 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित कर सकेगा, स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट न होने की दशा में या किसी भी विवाद की दशा में जिला स्तरीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

14. अनुबन्ध निरस्त होने की दशा में पुनः गोसदन संचालन का दायित्व किसी भी अन्य अर्ह संस्था को हस्तान्तरित करने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।

15. शासन/जिला स्तरीय समिति/उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी एवं पशुपालन विभाग के अधिकारी द्वारा संस्था के औचक निरीक्षण किये जाने हेतु सक्षम होंगे। इस क्रम में संस्था द्वारा पूर्ण सहयोग किया जाना अपेक्षित रहेगा।

16. गोसदन में क्षमता से अधिक गोवंशीय पशु होने की दशा में क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी की आख्या के आधार पर, जिला स्तरीय समिति द्वारा शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे पंचायतीराज विभाग द्वारा गोवंश को अन्यत्र मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों की क्षमता के आधार पर सुसंगत अभिलेखीय विवरण के साथ विस्थापित किया जायेगा तथा गोसदन को मानक संख्या के अनुरुप राजकीय अनुदान देय होगा।

17. निराश्रित पशुओं को गोसदनों तक पहुंचाये जाने हेतु Cattle Lifting Van/Hydraulic Van उपलब्ध कराये जाने का दायित्व, नगरीय परिधि में शहरी विकास विभाग एवं ग्रामीण परिधि में पंचायतीराज विभाग का होगा।

18. गैरसरकारी संस्था द्वारा संचालित गोसदनों में संदिग्ध संख्या में गोवंशीय पशुओं की क्षति होने पर विकासखण्ड स्तरीय समिति तथा यथावश्यकता पशुपालन विभाग द्वारा सम्बन्धित गोसदन की जांच की जायेगी। समिति द्वारा अपनी जांच आख्या जनपद स्तरीय समिति को प्रेषित की जायेगी।

19. जनपद स्तरीय समिति की अनुशंसा पर जिला प्रशासन/पुलिस द्वारा यथोचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

(Annexure-B)

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार

शासनादेश 909 दिनांक 02 जून, 2025 एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1534 दिनांक 14 अगस्त, 2025, के अनुरूप, राजकीय अनुदान से पूर्व अनुबन्ध की शर्तें:–

1– अलाभकर गोवंश (वृद्ध, बीमार, विकलांग, अनुत्पादक, निराश्रित एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गो तस्करों से जब्त किये गये थे न्यायिक प्रकरणाधीन केस प्रोपर्टी गोवंश) को आश्रय प्रदान करने के उद्धेश्य की प्राप्ति हेतु आवेदक संस्था उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रख्यापित नियमावलियों/संशोधन आदेशों तथा तद्क्रम में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में वर्णित कानूनी प्राविधानों तथा जनपदीय गोआश्रय अनुश्रवण समिति विकाखण्ड स्तरीय गो आश्रय अनुश्रवण समिति द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु बाध्य होगी।

2– आवेदक संस्था..गोसदन की निर्धारित क्षमतानुसार गोवंश की संख्या के बराबर अलाभकर गोवंश देने हेतु प्रतिबद्ध होगी। तद्क्रम में संस्था पुलिस प्रशासन/स्थानीय निकाय अथवा अन्य प्राधिकारियों को गोवंश को शरण दिये जाने के क्रम में सहयोग करने हेतु बाध्य होगी।

3– आवेदक संस्था..पंजीकृत एवं मान्यता प्रदत्त गैर सरकारी संस्था है तथा इस संस्था द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र के माध्यम से राजकीय मान्यता हेतु आवेदन किया गया है।

4– आवेदक संस्था... निम्न प्राविधान के अनुरूप पंजीकृत गैरसरकारी संस्था है (जो भी लागू हो उस बिन्दु पर सही का निशान लगाये):–

(क) सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है

अथवा

(ख)अलाभकर गोवंश के कल्याण हेतु बिना लाभ अर्जन करते हुए कोई अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत धमार्थ संस्था है

अथवा

(ग) पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड तहत पंजीकृत संस्था है

अथवा

(घ) किसी कानून के तहत रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है

5– आवेदक संस्था...समस्त शरणागत गोवंश की भली प्रकार देख–रेख–भरण पोषण हेतु– राजकीय आंशिक सहायता भरण पोषण अनुदान के अतिरिक्त समस्त अवशेष व्ययों को निर्वहन कर पाने में सक्षम,कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

6– आवेदक संस्था...गौशाला में न्यूनतम कवर्ड एरिया (40 वर्ग फीट प्रति गोवंश) के आधार पर निर्धारित गोवंशीय पशुओं को रखने स्वीकार करने हेतु सक्षम,कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

7– आवेदक संस्था..भरण–पोषण एवं निर्माण मद में दिये गये राजकीय अनुदान का अनिवार्य रूप से एक माह के भीतर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से सत्यापित लेखा परीक्षण उपरान्त समायोजन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्या पशुचिकित्सा अधिकारी अल्मोड़ा को उपलब्ध कराने हेतु कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

8– आवेदक संस्था.. भरण–पोषण एवं निर्माण मद में दिये गये राजकीय अनुदान धनराशि का सदुपयोग, निराश्रित गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण /प्रबन्धन हेतु ही किये जाने के कम में कृतसंकल्प एवं बचनबद्ध है।

9–आवेदक संस्था..भली प्रकार विदित एवं सहमत है कि शासन/प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई भी प्रतिनिध, संस्था का किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है। इस कम में संस्था पूर्ण सहयोग किये जाने हेतु कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

10– आवेदक संस्था..भली प्रकार विदित एवं सहमत है कि गोवंश प्रबन्धन/लेखा परीक्षण/भू उपयोग में अनियमित्ता पाये जाने पर उत्तराखण्ड ाासन/जिला प्राासन/स्थानीय निकाय, आवेदक संस्था को 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए आदेशित किया जा सकता है। आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट न होने की स्थिति में या किसी भी विवाद की दशा में शासन का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसी स्थिति में कभी भी भूमि आबंटन निरस्त कर, गोवंश/भू प्रबंधन अथवा गोसदन परिसर के उपयोग का दायित्व किसी भी अन्य अर्ह संस्था को हस्तान्तरित किया जा सकता है।

11– आवेदक संस्था..की गौशाला मे क्षमता से अधिक गोवंशीय पशु होने पर क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी की आख्या के आधार पर गोवंश को अन्यत्र मान्यता प्राप्त प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों की क्षमता के आधार पर शहरी विकास विभाग/जिला पंचायत के माध्यम से विस्थापित किये जाने हेतु कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

12– आवेदक संस्था..भली प्रकार विदित एवं सहमत है कि संस्था द्वारा संचालित गोसदनों में संदिग्ध अवस्था में गोवंशीय पशुओं की क्षति होने पर विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सम्बन्धित गोसदन की जांच की जायेगी। विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी जॉच आख्या जनपद स्तरीय समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद स्तरीय समिति की अनुशंसा पर जिला पुलिस/प्रशासन तथा स्थानीय निकाय द्वारा यथाचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

Annexure A

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड

Uttarakhand Animal Welfare Board

(मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन गठित संस्था)

शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोवाला देहरादून।

फोन नं0 – 0135 – 2532 850 फैक्स : 0135 – 2532 811

वैब साइट : **httpahd.uk.gov.inpagesdisplay132-uttarakhand-animal-welfare-board**

पशु कल्याण संस्था के रुप में मान्यता/राजकीय अनुदान हेतु आवेदन प्रपत्र

1. संस्था का परिचय
   - नाम
   - पता
   - पिन कोड
   - दूरभाष/एस.टी.डी कोड
   - फैक्स
   - ई मेल

2. संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों के नाम एवं पते :

3. क्या संस्था भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड से मान्यता प्राप्त है ? यदि हॉ तो कोड संख्या ?

4. आपकी संस्था द्वारा पशु कल्याण का क्या कार्य किया जाता है ? ए. बी. सी./बचाव कार्य/पशु शरणालय/पशु चिकित्सा /

   प्राकृतिक आपदा में बचाव कार्य/विधिक न्यायालयी सहायता

5. क्या आपकी संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा ट्रस्ट एक्ट अथवा विदेशी सहायता एक्ट के तहत पंजीकृत है ?

   यदि हॉ तो :–

   (क) कृपया पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत करें।

   (ख) पंजीकरण कार्यालय

   (ग) पंजीकरण संख्या

   (घ) पंजीकरण तिथि

6. संस्था का स्थापना वर्ष/नियमावली की सत्यापित छायाप्रति/ पदाधिकारियों का विवरण एवं उनके दायित्व तथा कार्यक्षेत्र :

7. गत तीन वर्षो का आय व्यय लेखा :

8. क्या संस्था द्वारा राजकीय कोष से (भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड अथवा भारत सरकार अन्तर्गत किसी अन्य संस्था या उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड अथवा उत्तराखण्ड सरकार अन्तर्गत किसी अन्य संस्था या सांसद निधि या विधायक निधि या ग्राम पंचायत अथवा क्षेत्र पंचायत अथवा जिला पंचायत या नगर पालिका अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय) से पशु कल्याण कार्यो हेतु अनुदान प्राप्त किया गया ? यदि हाँ तो प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं लेखा विवरण भेज दिया गया है ?

प्राप्त अनुदान का विवरण प्रस्तुत करें।

9. संस्था की संपत्ति / संसाधन

9.1 भूमि :

(क) कुल भूमि उपलब्धता :

(ख) क्या भूमि आपकी संस्था के नाम पंजीकृत है ?

यदि हॉ तो कृपया अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

(ग) क्या भूमि आपकी संस्था के नियंत्रणाधीन है ?

यदि हॉ तो कृपया स्पष्ट करें कब से उक्त भूमि आपके नियंत्रणाधीन है ?

(घ) किस प्रकार भूमि अर्जित की गयी ? तदनुसार अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न करें।

- क्रय से अर्जित की गयी ?
- दान से अर्जित की गयी ?
- न्यूनतम 30 वर्ष के पट्टे से अर्जित की गयी ?
- राजकीय भूमि ?
- स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि ?

(ङ) क्या आपकी भूमि में परिसर दीवार अथवा आयरन फैंसिंग करा ली गयी है ?

(च) बड़े पशुओं के गौचर हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल :

(छ) छोटे पशुओं के भ्रमण हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल :

9.2 उपलब्ध पशु चिकित्सा/प्राथमिक चिकित्सा संसाधन :

पशु चिकित्सक : संख्या ?

उपलब्धता – पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

पैरा वैटनरी स्टाफ : संख्या ?

उपलब्धता – पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

श्रमिकवर्ग पैरावैट : संख्या ?

उपलब्धता – पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

- औषधालय :
- औषधि उपलब्धता सूची :
- क्या औषधि उपलब्धता सूची को मासिक रुप से पुनः नवीनीकृत किया जाता है ? :
- आइसोलेसन वार्ड/ आई. सी. यू. / बीमार पशु वार्ड :
- लिफ्टिंग वैन / एम्बुलेंस की उपलब्धता :
- अन्य सुविधायें :

9.3 पशुओं हेतु चारा/भोजन का श्रोत एवं भण्डारण सुविधा :

– पशुओं हेतु चारागाह की सुविधा –
– सूखे चारे के श्रोत –
– परिसर में उपलब्ध चारा वृक्षों की संख्या ? औसत उत्पादकता ?
– गत वर्ष लगाये गये पेड़ों की संख्या ? औसत उत्पादकता
– चालू वर्ष में लगाये गये पेडों की संख्या ? औसत उत्पादकता ?
– परिसर में चारा घासों का रोपित क्षेत्रफल ? औसत उत्पादकता ?
– अन्य श्रोतों से उपलब्धता ?

- चाराचरी की उपलब्धता –
- भूसा स्टोर कक्षों की व्यवस्था – संख्या –
- अन्य चारे हेतु स्टोर कक्षों की व्यवस्था – संख्या एवं साइज –
- चैप कटर की उपलब्धता – संख्या एवं साइज –
- चारा घासों का फसल चक्र – संख्या –

9.4 अन्य संसाधन एवं अन्य सुविधायें :

- बिजली –
- बल्ब –
- ट्यूब लाइट –
- पंखे –
- ट्यूबवैल/बोरवैल/मोटराइज्ड पम्प –
- मोटराइज्ड चैपकटर –
- पेय जल श्रोत –

(कुआं /बोर वैल / हैंड पंप / प्राकृतिक श्रोत / नहर / नदी / पेय जल संयोजन)

- पेय जल संग्रहण की सुविधा :

ओवर हैड टैंक	– संख्या	क्षमता –
स्टोरेज टैंक (सीमेंट)	– संख्या	क्षमता –
स्टोरेज टैंक (प्लास्टिक)	– संख्या	क्षमता –
पानी पीने की नांद	– संख्या	

- नाली की व्यवस्था
- मूत्र संग्रह की व्यवस्था
- गोबर संग्रह की व्यवस्था
- चारा पिट्स की व्यवस्था
- स्वच्छता एवं सफाई की दशा :
- भोजन पकाने/ तैयार करने हेतु बर्तन आदि की सुविधायें :

9.5 कार्यालय अभिलेखों का विवरण :

- कार्यालय पंजिकाओं के शीर्षक :
- कार्यालय फाइलों के शीर्षक :
- अन्य अभिलेख :

10. वर्तमान में आपकी संस्था में शरणागत पशुओं की संख्या ?
आवेदन पत्र के साथ संलग्नक प्रपत्र 1 में समस्त सूचनाऐं उल्लिखित करें।

रोगी पशु संख्या ?

निराश्रित अपंग पशु संख्या ?

निराश्रित अनुत्पादक/बृद्ध पशु संख्या ?

निराश्रित उत्पादक पशु संख्या ?

11. दुधारु पशुओं में ऑक्सीटोसिन एवं अन्य दवाओं के प्रयोग का विवरण :

12. क्या आपकी संस्था में गोबर गैस का सदुपयोग प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हॉं तो कृपया प्रगति विवरण दें।

13. क्या आपकी संस्था में वर्मी कल्चर का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

14. क्या आपकी संस्था में गौ मूत्र विक्रय का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हॉं तो कृपया प्रगति विवरण दें।

15. क्या आपकी संस्था में गौमूत्र शोधन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हॉं तो कृपया प्रगति विवरण दें।

16. क्या आपकी संस्था में गौ मूत्र से अन्य उत्पाद तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हॉं तो कृपया प्रगति विवरण दें।

17. क्या आपकी संस्था में पंचगव्य से विभिन्न उत्पाद तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हॉं तो कृपया प्रगति विवरण दें।

18. गत वर्षों में आपकी संस्था द्वारा बचाये गये पशुओं का विवरण :
समाचार पत्रों की पेपर कटिंग्स./ फोटो ग्राफ्स/वी. सी. डी. संलग्न कर प्रस्तुत करें।

19. संस्था में पशुओं को रखने की क्षमता हेतु विवरण संलग्न–1 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

20. संस्था में कर्मचारियों का विवरण संलग्न–2 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

21. संस्था के अभिलेखों की छायाप्रतियाँ संलग्न–3 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

22. स्पष्ट करें कि वांछित अनुदान धनराशि सुदृढ़ीकरण हेतु वांछित है अथवा नव–निर्माण हेतु।

मैं/हम ने गौ–सदन स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिये आर्थिक अनुदान धनराशि हेतु, उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण नियमावली, 2011, उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018 एवं तत्सम्बन्धित शासनादेशों (शासनादेश संख्या **759/XV-1/1(3)/2008**, पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 16 दिसम्बर, 2008, शासनादेश संख्या **807/XV-1/11/1(3)08**, पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 07 अक्टूबर, 2011 एवं शासनादेश संख्या **1063/XV-1/16/1(3)/2008**, पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 28 दिसम्बर, 2016) में उल्लिखित शर्तें एवं अनुमन्यतायें भली–भाँति पढ़ ली हैं। हमारी संस्था को सभी शर्तें स्वीकार हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

संलग्नक : आवेदन प्रपत्र–1 से प्रपत्र–3 सलग्न कर प्रेषित करें।

आवेदन प्रपत्र संलग्नक–1

योजना का नाम :– गौ सदन/पशु शरणालय

1. संस्थान का नाम :

2. वर्ष :

शरणागत पशुओं का विवरण

क्रम सं0	पशुओं के प्रकार व नस्ल	वयस्क		बच्चे		योग
		नर	मादा	नर	मादा	
1.	गोवंशीय पशु (भारतीय नस्ल)					
2.	गोवंशीय पशु (विदेशी नस्ल)					
3.	अन्य पशु					
कुल शरणागत पशु						
अतिरिक्त उपलब्ध क्षमता (वर्ग फुट)		.... वर्ग फुट (गौ पशुओं हेतु) .... वर्ग फुट (अन्य पशुओं हेतु)				

आवेदक के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर तिथि :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

आवेदन प्रपत्र संलग्नक–2

योजना का नाम:– गौ सदन/पशु शरणालय के रख–रखाव/उपचार हेतु उपलब्ध कार्मिकों का विवरण

भाग–1 (गत वर्ष...................)

1. संस्था का नाम :–

2. संस्था का पता :–

3. वर्ष

क्रम सं0	कार्मिक का नाम व पता	योग्यता	नियुक्ति की तिथि	अवधि	प्रतिमाह वेतन	गत वर्ष किया गया कुल वेतन भुगतान	टिप्पणी

आवेदक के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर तिथि :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

गौ–सदन/पशु शरणालय के स्थान हेतु प्रपत्र के साथ अपेक्षित अभिलेखों की सूची :–

1. निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र
2. विस्तृत प्रस्ताव एवं गौ सदन के निर्माण का औचित्य
3. आवेदन पत्र के बिन्दु–5 के अनुरुप पंजीकरण प्रमाण पत्र के सत्यापित छायाप्रति
4. संस्था का स्मृति पत्र की सत्यापित छायाप्रति
5. संस्था की नियमावली की सत्यापित छायाप्रति
6. साईट प्लान/ब्लू प्रिन्ट जो कि स्थानीय निकाय के द्वारा स्वीकृत हों।
7. भूमि के अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति (भूमि की रजिस्ट्री अथवा लीज अथवा पंचनामा की सत्यापित छायाप्रति। भूमि कम से कम 30 वर्ष हेतु पट्टे पर ली गयी हो।)
8. संस्था के नाम पर भूमि के पंजीकरण के रजिस्टर अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति।
9. स्थानीय निकायों के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत गौ–सदन/पशु शरणालय बनाये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (सत्यापित छायाप्रति)।
10. गौ–सदन/पशु शरणालय बनाये जाने हेतु धनराशि का मदवार आबंटन लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत दरों पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार किया जाए (मूल रूप में)।
11. संस्था की अधिशासी समिति तथा सामान्य कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची (नाम, पता, दूरभाष संख्या)
12. संस्था के गत वर्ष के आय–व्यय लेखा का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित निम्न अभिलेखों की छायाप्रति :–
    1. आय–व्यय का लेखा (बैलेन्स शीट)
    2. व्यय लेखा (एक्सपेंडिचर एकाउन्ट)
    3. प्राप्ति भुगतान लेखा
    4. सम्परीक्षण प्रतिवेदन
13. आज तक पशु कल्याण हेतु किये गये कार्यों का विवरण तथा उन पर किये गये व्यय।
14. गौ–सदन को भली–भाँति चलाने तथा पशुओं के रख–रखाव हेतु वित्तीय संसाधन।
15. क्या आज तक संस्था को भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड से वित्तीय अनुदान प्राप्त हुआ है (यदि हाँ तो विवरण दें तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा उपयुक्तता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)
16. औषधि/उपकरण क्रय हेतु रेट कोटेशन की छायाप्रति।
17. वर्तमान समय में उपलब्ध भवनों की क्षमता।
18. क्या संस्था द्वारा स्थानीय निकाय में आवारा पशुओं को शरण दिये जाने के बावत सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया गया है (यदि हाँ तो कृपया अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
19. वर्तमान समय में आपकी संस्था में शरणागत पशुओं की संख्या के अभिलेख के क्रम में संलग्नक आवेदन प्रपत्र–1
20. वर्तमान समय में आपकी संस्था में कार्यरत कार्मिकों की संख्या के क्रम में संलग्नक आवेदन प्रपत्र–2

अपील :–

आवेदक संस्थाओं से निवेदन है कि अपने 'आवेदन प्रस्ताव' के साथ समस्त अभिलेख संलग्न करें, जिससे प्रस्तावों पर शीघ्रतिंशीघ्र निर्णय हेतु सुविधा हो सके।

आवेदन प्रपत्र संलग्नक–3

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार से मान्यता लिये जाने के क्रम में आवेदक संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव

आवेदक संस्था का नाम :

आवेदक संस्था का पता :

आज दिनांक .... स्थान .... पर हमारी संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई। प्रबन्ध कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि :–

1. हमारी संस्था द्वारा अलाभकर गोवंश (वृद्ध/ बीमार /विकलांग/ बांझ/ अनुत्पादक निराश्रित गोवंश तथा पुलिस प्रशासन द्वारा गोतस्करों से जब्त किये गये केस प्रॉपर्टी गोवंश) को शरण दिये जाने का पवित्र कार्य किया जायेगा।

2. हमारी संस्था द्वारा स्वयं के संसाधनों/दान अथवा जनसहयोग से मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 50 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 25 अलाभकर गोवंश को शरण दिये जाने हेतु कृत संकल्प एवं समर्थ है।

3. हमारी संस्था पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड से मान्यता लिये जाने हेतु सहमत है।

4. हमारी संस्था उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदत्त आंशिक सहायता/भरण पोषण अनुदान से लाभान्वित किये जाने हेतु आकांक्षी है।

5. हमारी संस्था, समस्त शरणागत गोवंश की भली प्रकार देख–रेख भरण पोषण करने हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।

6. हमारी संस्था, गोहत्या के निषेध तथा गोतस्करी के निवारण हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।

7. हमारी संस्था द्वारा शरणागत गोवंश की बीमारी की दशा में राजकीय पशुचिकित्सालय के माध्यम से चिकित्सा कराये जाने तथा मृत्यु की दशा में शव परीक्षण/प्रमाणन कराये जाने हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

ई संख्याः 909 /XV-I/25/63495

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–01 देहरादून : दिनॉक 02 जून 2025।

विषय : निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों के निर्माण एवं उनके भरण–पोषण हेतु नीति प्रख्यापन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, के पत्र संख्याः 3837 UAWB(52TOP) दिनांकः 21.03.2025 के संदर्भ में अवगत कराना है कि निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों की स्थापना व संचालन सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्याः 36254 दिनांकः 26.06.2023 (यथा संशोधित दिनांकः 24.11. 2023) में निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों के निर्माण का कार्य शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतीराज विभाग द्वारा किया जा रहा है। उक्त निर्माण प्रकिया तथा बजट आवंटन में कई विभागों के सम्मिलित होने के कारण उक्त नीति के क्रियान्वयन में कठिनाईयां एवं प्रक्रियागत विलम्ब हो रहा है।

2. अतः उक्त कठिनाईयों के निराकरण हेतु शासनादेश संख्याः 36254 दिनांकः 26.06.2023 (यथा संशोधित दिनांकः 24.11.2023) को अवक्रमित करते हुए निम्नवत् समेकित नीति प्रख्यापित की जाती है:–

1. निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों/गोशालाओं की स्थापना/सुविधांए संबंधी निर्माण कार्य सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अंतर्गत करवाया जायेगा। इस हेतु एकीकृत बजट की व्यवस्था पशुपालन विभाग के सम्बन्धित मानक मद में की जायेगी। इसी प्रकार वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत उक्त गोसदनों में निराश्रित गोवंश के भरण पोषण हेतु बजट की व्यवस्था पशुपालन विभाग के संगत मदों में करते हुए उसे सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखा जायेगा।
2. निराश्रित गोवंश को भरण पोषण हेतु दिये जाने वाले

अनुदान एवं उनके लिये निर्मित होने वाले गोशालाओं के लिये बजट आवंटन हेतु पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा। इस हेतु बजट की व्यवस्था पशुपालन विभाग के संगत मानक मदों में की जायेगी।

3. निराश्रित गोवंश हेतु निर्मित होने वाले गोशालाओं हेतु बजट एवं भरण पोषण अनुदान सम्बन्धी बजट सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखा जायेगा। गौसदनों हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी के निर्देशन में, स्थानीय निकायों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में पूर्व की भांति गौसदनों के निर्माण/अनुरक्षण, संचालन एवं पर्यवेक्षण आदि की कार्यवाही की जायेगी।

4. नगर निकायों द्वारा संचालित कांजी हाउस के संचालन एवं उससे सम्बन्धित व्ययों के संबंध में पशुपालन विभाग का दायित्व मात्र निराश्रित गोवंश के चिकित्सकीय उपचार तक सीमित होगा तथा कांजी हाउसों का संचालन पूर्व की भांति नगर निकायों द्वारा ही किया जायेगा।

5. सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने नियंत्रण एवं निर्देशन में निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था का चयन करते हुए समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कराकर बजट का आवंटन सुनिश्चित करेंगे। भरण पोषण हेतु निर्धारित अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से दिया जायेगा।

6. गौशाला निर्माण/विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु बजट आवंटन निम्न 04 श्रेणियों के अंतर्गत किया जायेगा–

(i) **सरकारी भूमि पर स्थानीय निकाय द्वारा गौशाला निर्माण हेतु 100 % राजकीय अनुदान–** जिला स्तरीय समिति द्वारा पहले अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। तत्पश्चात भी बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मॉग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(ii) **सरकारी भूमि पर पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा गौशाला निर्माण हेतु पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा 40% एवं राजकीय अनुदान 60%-** जिला स्तरीय समिति द्वारा पहले अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। तत्पश्चात भी बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर

अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(iii) निजी भूमि पर पंजीकृत गैर सरकारी **पशुकल्याण संस्था द्वारा गौशाला** निर्माण हेतु पंजीकृत गैरसरकारी **पशुकल्याण** संस्था द्वारा **40%** एवं राजकीय अनुदान **60%-** जिला स्तरीय समिति द्वारा पहले अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। तत्पश्चात भी बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(iv) **पूर्व से संचालित (पूर्व मान्यता प्रदत्त) गौशाला का पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण, संस्था द्वारा 40% एवं राजकीय अनुदान 60%-** जिला स्तरीय समिति द्वारा पहले अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। तत्पश्चात भी बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

7. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निराश्रित गोवंश हेतु गोशाला का निर्माण पशुपालन विभाग द्वारा निर्धारित मानकीकृत डिजाइन/लागत के आधार पर कराया जायेगा। मानक आंगणन 50 पशुओं हेतु रू0 46.00 लाख एवं 100 पशुओं हेतु रू0 66.00 लाख निर्धारित किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में Land Development Charges को भी सम्मिलित करते हुए आंगणन प्रेषित किया जायेगा। (मानक डिजाइन संलग्न)

8. गोसदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की संख्या में वृद्धि होने पर, मानक आंगणन में Cowshed एवं भूसा स्टोर की लागत में भी आनुपातिक वृद्धि की जा सकेगी।

9. निराश्रित गोवंश हेतु गोशालाओं की स्थापना पर निर्णय एवं कार्यवाही तथा भरण पोषण अनुदान निर्गत किये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें पशुपालन विभाग, शहरी विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित होगें।

10. शासन स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा। गठित 'राज्य स्तरीय समिति' में सचिव, पंचायतीराज विभाग, सचिव, पशुपालन

के अतिरिक्त निदेशक, पंचायतीराज, निदेशक, शहरी विकास निदेशालय तथा निदेशक, पशुपालन भी सम्मिलित रहेगें। गोसदनों के निर्माण की प्रगति/बजटीय व्यवस्था की समीक्षा हेतु उक्त समिति की बैठक प्रत्येक 03 माह में आहूत की जायेगी।

11. उक्त व्यवस्था इस हेतु शासनादेश निर्गत हो जाने पर लागू होगी। इससे पूर्व शहरी विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन अथवा प्रारम्भ हो चुके गोसदनों के निर्माण हेतु बजट आवंटन का कार्य सम्बन्धित शहरी विकास/पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा।

12. रू0 01 करोड़ तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे।

13. रू0 5 करोड़ तक के सभी आगणनों/प्रस्तावों की जिला स्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा अनिवार्य रूप से जॉच की जायेगी। रू0 01 करोड़ से अधिक के आगणनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से पशुपालन विभाग द्वारा यथाप्रक्रिया प्रदान की जायेगी।

14. गोसदनो के निर्माण एवं रख रखाव की स्वतंत्र निगरानी एवं मूल्यांकन तीसरे पक्ष (Third Party) के माध्यम से किया जायेगा।

15. नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित गोवंश को पकड कर गोसदनों में पहुंचाने की व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा की जायेगी। इस हेतु उनके स्तर पर कैटल लिफ्टिंग की व्यवस्था की जायेगी।

16. भविष्य में उक्त नीति में यथाआवश्यक संशोधन हेतु पशुपालन विभाग अधिकृत होगा।

3. अतः उक्त नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P) संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त नीति का प्रभावी क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

Digitally signed by
Rajendra Kumar Bhatt
Date: 02-06-2025
12:22:07

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव।

<u>ई संख्याः 909 /XV-I/25/62949तद्दिनॉकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, शहरी विकास विभाग/पंचायती राज विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को महोदय के

संज्ञानार्थ।

3. मण्डलायुक्त कुमॉऊ/गढ़वाल मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6. निदेशक शहरी विकास/पंचायतीराज, उत्तराखण्ड।
7. अनुभाग अधिकरी, शहरी विकास अनुभाग-02/पंचायतीराज अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
8. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
9. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

राजेन्द्र कुमार भट्ट
संयुक्त सचिव।

ई संख्या- 909/XV-I/25/63495/25/63495, दिनांक- 02/6/25 का संलग्नक

निराश्रित गौवंश हेतु गौशाला निर्माण के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया

Category -1 सरकारी भूमि पर स्थानीय निकाय द्वारा गौशाला निर्माण हेतु 100 प्रतिशत राजकीय **अनुदान** (जिला स्तरीय समिति द्वारा पहले अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। तत्पश्चात भी बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा)

भूमि चिन्हीकरण

- सर्वप्रथम डी0एल0सी0 के नेतृत्व में जिला प्रशासन/शहरी विकास विभाग/ पंचायतीराज विभाग/पशुपालन विभाग के समन्वय से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित अलाभकर गौवंश की संख्या निर्धारण हेतु सर्वेक्षण एवं इसके पश्चात् भूमि का चिन्हीकरण किया जायेगा।

संचालन हेतु गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था का चयन

- जिला स्तरीय समिति के माध्यम से भूमि का चिन्हीकरण किये जाने के उपरान्त चिन्हित भूमि पर गोसदन संचालन हेतु विज्ञप्ति के माध्यम से पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्थाओं को आमंत्रित कर अनुबन्ध किये जाने हेतु संस्था का चयन किया जायेगा।

निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का चयन

- डी0एल0सी0 द्वारा स्थानीय निकाय को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया जायेगा। तत्पश्चात् गोसदन निर्माण हेतु डीपीआर (मानकों के अनुरुप) तैयार कर जिला स्तरीय समिति के स्तर पर TAC करायी जायेगी। जिला स्तरीय समिति रू0 05 करोड तक के आंगणन प्रस्तावों की TAC हेतु भी अधिकृत होगी।

बजट आवंटन

- चिन्हित भूमि पर निराश्रित गोवंश हेतु गोसदन की स्थापना हेतु सर्वप्रथम DLC द्वारा अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर तदनुसार अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किये जायेगें।
- निर्धारित मानक डिजाइनों के अन्तर्गत रू0 01 करोड़ तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण कार्य के बजट आवंटन हेतु संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। रू0 01 करोड़ से अधिक के आगणनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से यथाप्रक्रिया प्रदान की जायेगी।
- मानक आंगणन 50 पशुओं हेतु Rs 46.00 लाख एवं 100 पशुओं हेतु Rs 66.00 लाख निर्धारित किया गया है। (संलग्नक-1)। पर्वतीय क्षेत्रों में Land Development Charges को सम्मिलित करते हुए आंगणन बनाया जायेगा।
- गोसदनों के निर्माण में स्थायी निर्माण की बाध्यता को समाप्त करते हुए अस्थायी निर्माण (टिन शेड् – मानक मानचित्र के अनुरुप) को प्राथमिकता दी जायेगी।
- गोसदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की संख्या में वृद्धि होने पर, मानक आंगणन में Cowshed एवं भूसा स्टोर की लागत में भी आनुपातिक वृद्धि की जा सकेगी।
- बजट धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से एक वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
- गोसदन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा

बजट धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित लेखा परीक्षण रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति एवं एक छायाप्रति सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को भी प्रेषित की जायेगी।

• नवनिर्मित गोसदन का उपयोग निराश्रित गोवंशीय पशुओं को शरण देने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के कार्य हेतु उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

• सरकारी अनुदान बजट उपलब्धता के आधार पर निर्गत किया जायेगा। सामान्यतः इसे 40:40:20 के रुप में तीन किश्तों में जारी किया जायेगा।

Category -2 सरकारी भूमि पर पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा गौशाला निर्माण (संस्था द्वारा 40% राजकीय अनुदान 60%)

भूमि चिन्हीकरण

• सर्वप्रथम डी0एल0सी0 के नेतृत्व में जिला प्रशासन/शहरी विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग/पशुपालन विभाग के समन्वय से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित अलाभकर गौवंश की संख्या निर्धारण हेतु सर्वेक्षण एवं इसके पश्चात् भूमि का चिन्हीकरण किया जायेगा।

निर्माण एवं संचालन हेतु गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था का चयन

• जिला स्तरीय समिति के माध्यम से भूमि का चिन्हीकरण किये जाने के उपरान्त चिन्हित भूमि पर गोसदन संचालन एवं निर्माण हेतु विज्ञप्ति के माध्यम से पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्थाओं को आमंत्रित कर अनुबन्ध किये जाने हेतु संस्था का चयन किया जायेगा।

• पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था को कार्यदायी संस्था के रुप में नामित किये जाने के उपरान्त पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा आगंणन तैयार कर (आर्किटेक्ट द्वारा सरकारी निर्माण एजेन्सी से सत्यापित कराते हुए) जिला स्तरीय समिति को प्रेषित किया जायेगा। तत्पश्चात् गोसदन निर्माण हेतु डीपीआर (मानकों के अनुरुप) तैयार कर जिला स्तरीय समिति के स्तर पर TAC करायी जायेगी। जिला स्तरीय समिति रु 05 करोड तक के आंगणन प्रस्तावों की TAC हेतु भी अधिकृत होगी। प्रस्तावित आंगणन का 40% पंजीकृत गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

बजट आवंटन

• आंगणन के शेष 60 प्रतिशत का सर्वप्रथम जिला स्तरीय समिति द्वारा अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

• निर्धारित मानक डिजाइनों के अन्तर्गत रू0 01 करोड़ तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। रू0 01 करोड़ से अधिक के आगणनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से यथाप्रक्रिया प्रदान की जायेगी।

• पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बजट (उपलब्धता के आधार पर) गोसदन निर्माण हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को अवमुक्त किया जायेगा।

• मानक आंगणन 50 पशुओं हेतु Rs46.00 लाख एवं 100 पशुओं हेतु Rs 66.00 लाख निर्धारित किया गया है। (संलग्नक–1)। पर्वतीय क्षेत्रों में Land Development Charges को सम्मिलित करते हुए आंगणन प्रेषित किया जायेगा।

• गोसदनों के निर्माण में स्थायी निर्माण की बाध्यता को समाप्त करते हुए अस्थायी

निर्माण (टिन शेड् –मानक मानचित्र के अनुरुप) को प्राथमिकता दी जायेगी।

• गोसदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की संख्या में वृद्धि होने पर, मानक आंगणन में Cowshed एवं भूसा स्टोर की लागत में भी आनुपातिक वृद्धि की जा सकेगी।

• बजट धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से एक वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

• गोसदन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा बजट धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित लेखा परीक्षण रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति एवं एक छायाप्रति सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को भी प्रेषित की जायेगी।

• नवनिर्मित गोसदन का उपयोग निराश्रित गोवंशीय पशुओं को शरण देने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के कार्य हेतु उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

• बजट आंगणन हेतु धनराशि निम्न 03 किश्तों में अवमुक्त की जायेगी–

	पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा	सरकारी अनुदान
प्रथम किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल .आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
द्वितीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
तृतीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 20 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 20 प्रतिशत

Category -3

निजी भूमि पर पंजीकृत गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा गौशाला निर्माण (संस्था द्वारा 40% राजकीय अनुदान 60%)

भूमि स्वामी द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था को गौसदन संचालन हेतु समस्त विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए न्यूनतम 50 वर्ष की रजिस्टर्ड लीज़ पर भूमि दिया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध की तिथि को पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था के पास न्यूनतम 50 वर्ष की रजिस्टर्ड लीज़ भूमि उपलब्ध होनी चाहिए।

• मान्यता प्राप्त सम्बन्धित पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा आगंणन तैयार कर (आर्किटेक्ट द्वारा सरकारी निर्माण एजेन्सी से सत्यापित कराते हुए) जिला स्तरीय समिति को प्रेषित किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति रू 05 करोड तक के आंगणन प्रस्तावों की TAC हेतु भी अधिकृत होगी। जिला स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त डीपीआर का 40 प्रतिशत सम्बन्धित पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा वहन किया जायेगा एवं शेष 60 प्रतिशत जिला स्तरीय समिति/शासन द्वारा वहन किया जायेगा।

बजट आवंटन

• आंगणन के शेष 60 प्रतिशत का सर्वप्रथम DLC द्वारा अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि आदि) बजट की व्यवस्था की जायेगी। बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि

की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

• निर्धारित मानक डिजाइनों के अन्तर्गत रू0 01 करोड़ तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। रू0 01 करोड़ से अधिक के आगणनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से यथाप्रक्रिया प्रदान की जायेगी।

• पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बजट (उपलब्धता के आधार पर) गोसदन निर्माण हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को अवमुक्त किया जायेगा।

• मानक आंगणन 50 पशुओं हेतु Rs 46.00 लाख एवं 100 पशुओं हेतु Rs 66.00 लाख निर्धारित किया गया है। **(संलग्नक–1)**। पर्वतीय क्षेत्रों में Land Development Charges को सम्मिलित करते हुए आंगणन प्रेषित किया जायेगा।

• गोसदनों के निर्माण में स्थायी निर्माण की बाध्यता को समाप्त करते हुए अस्थायी निर्माण (टिन शेड् –मानक मानचित्र के अनुरुप) को प्राथमिकता दी जायेगी।

• गोसदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की संख्या में वृद्धि होने पर, मानक आंगणन में Cowshed एवं भूसा स्टोर की लागत में भी आनुपातिक वृद्धि की जा सकेगी।

• बजट धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से एक वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

• गोसदन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा बजट धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित लेखा परीक्षण रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति एवं एक छायाप्रति सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को भी प्रेषित की जायेगी।

• नवनिर्मित गोसदन का उपयोग निराश्रित गोवंशीय पशुओं को शरण देने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के कार्य हेतु उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

• बजट आंगणन हेतु धनराशि निम्न 03 किश्तों में अवमुक्त की जायेंगी–

	गोसदन द्वारा	सरकारी अनुदान
प्रथम किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
द्वितीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
तृतीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 20 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 20 प्रतिशत

Category -4 पूर्व से संचालित (पूर्व मान्यता प्रदत्त) गौशाला का पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण (संस्था द्वारा 40% राजकीय अनुदान 60%)

• पूर्व से संचालित पूर्ण मान्यता प्रदत्त गोसदनों (निर्माण एवं भरण पोषण) के द्वारा गोसदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की संख्या में बढोतरी के कारण नवनिर्माण हेतु भूमि उपलब्धता के आधार पर मानक मानचित्र के अनुरुप आर्किटेक्ट से आगंणन तैयार करवाकर (सरकारी निर्माण एजेन्सी से सत्यापित कराते हुए) डीपीआर मुख्य

पशुचिकित्सा अधिकारी (तकनीकी सदस्य) जिला स्तरीय समिति को प्रेषित की जायेगी। जिला स्तरीय समिति रू 05 करोड तक के आंगणन प्रस्तावों की TAC हेतु भी अधिकृत होगी।

• गोसदन द्वारा मानक मानचित्र के अनुरुप प्रेषित की गयी डीपीआर की जिला स्तरीय समिति द्वारा दिये गये अनुमोदनोपरान्त डीपीआर की 40 प्रतिशत धनराशि गोसदन संचालक द्वारा स्वयं के संसाधनों से वहन की जायेगी।

• आंगणन के शेष 60 प्रतिशत का सर्वप्रथम जिला स्तरीय समिति द्वारा अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

• निर्धारित मानक डिजाइनों के अन्तर्गत रू0 01 करोड़ तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। रू0 01 करोड़ से अधिक के आंगणनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से यथाप्रक्रिया प्रदान की जायेगी।

• पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्माण मद में बजट उपलब्धता के आधार पर गोसदन निर्माण हेतु बजट सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को अवमुक्त किया जायेगा।

• मानक आंगणन 50 पशुओं हेतु Rs46.00 लाख एवं 100 पशुओं हेतु Rs 66.00 लाख निर्धारित किया गया है। **(संलग्नक–1)**। पर्वतीय क्षेत्रों में Land Development Charges को सम्मिलित करते हुए आंगणन प्रेषित किया जायेगा।

• गोसदनों के निर्माण में स्थायी निर्माण की बाध्यता को समाप्त करते हुए अस्थायी निर्माण (टिन शेड् –मानक मानचित्र के अनुरुप) को प्राथमिकता दी जायेगी।

• गोसदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की संख्या में वृद्धि होने पर, मानक आंगणन में Cowshed एवं भूसा स्टोर की लागत में भी आनुपातिक वृद्धि की जा सकेगी।

• बजट धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त गोसदन द्वारा कार्यदायी संस्था से एक वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

• गोसदन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा बजट धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित लेखा परीक्षण रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति एवं एक छायाप्रति उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को भी प्रेषित की जायेगी।

• बजट आंगणन हेतु धनराशि निम्न 03 किश्तों में अवमुक्त की जायेगी–

	गोसदन द्वारा	सरकारी अनुदान
प्रथम किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
द्वितीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
तृतीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 20 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 20 प्रतिशत

- गोसदनो के निर्माण एवं रख रखाव की स्वतंत्र निगरानी एवं मूल्यांकन तीसरे पक्ष(Third Party) के माध्यम से किया जायेगा।
- तकनीकी सलाह के आधार पर अस्थायी गोसदनों के निर्माण की समय–सीमा को कम किया जायेगा। गोसदनों के निर्माण हेतु मानक आगणन को नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा वैट किया जायेगा।
- निराश्रित गोवंश की समयबद्ध गणना की जायेगी, ताकि आवश्यक गोसदनों के निर्माण की योजना बनायी जा सकें। उक्त गणना के आधार पर प्राप्त डाटा का उपयोग निराश्रित गोशाला के निर्माण हेतु किया जायेगा।
- निदेशक, पशुपालन आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तावित बजट के लिए समस्त जनपदों से प्रस्तावित गोसदनों के निर्माण हेतु बजट प्रस्ताव संकलित करते हुए प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर माह तक पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि नवम्बर/दिसम्बर माह में शासन स्तरीय समिति की बैठक के पश्चात उक्त बजट मांग वित्त विभाग को प्रेषित की जा सके।

उपबन्ध

(i) Category -1 एवं Category -2 में संचालन हेतु जनपद स्तरीय समिति द्वारा अनुबन्ध से निर्धारित पंजीकृत गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था से न्यूनतम 10 वर्षों के लिए अनुबन्ध किया जायेगा। अनुबन्ध अवधि में संस्था का कार्य उत्कृष्ट पाये जाने पर अनुबन्ध अवधि में वृद्धि (अनुबन्ध नवीनीकरण) जनपद स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा के उपरान्त की जा सकेगी।

(ii) गोसदन संचालन में असमर्थता की दशा में अनुबन्धित संस्था द्वारा जिला स्तरीय समिति को तीन माह पूर्व सूचित करना अनिवार्य होगा।

(iii) गोवंश प्रबन्धन/लेखा परीक्षण/भू उपयोग में अनियमितता पाये जाने पर जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुबन्धित संस्था को 07 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित किया जायेगा। दो बार नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी अनुबन्धित संस्था का कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने की दशा में या किसी भी विवाद की दशा में अनुबन्धित संस्था का अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा। इस संबंध में जिला स्तरीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

(iv) अनुबन्ध निरस्त होने की दशा में पुनः गोसदन संचालन का दायित्व किसी भी अन्य अर्ह संस्था को हस्तान्तरित करने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।

(v) सरकारी भूमि पर पंजीकृत गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था का स्वामित्व मात्र प्रबन्धकीय कार्यों हेतु ही होगा।

जिला स्तरीय समिति द्वारा जनपदों में संचालित मान्यता प्रदत्त एवं अनुबन्धित गोसदनों को भरण–पोषण मद में अनुदान दिये जाने हेतु प्रावधान

1. निराश्रित गोवंश को भरण–पोषण मद में दिये जाने वाले निर्धारित अनुदान (वर्तमान में रू0 80 प्रतिगोवंश प्रतिदिन) के लिए पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा। शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत भरण–पोषण हेतु प्रावधानित अनुदान तथा आबकारी विभाग के अन्तर्गत सेस से प्राप्त धनराशि को पशुपालन विभाग की संगत मदों में प्राप्त कर सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखा जायेगा। पशुकल्याण बोर्ड एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगी।

2. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने जनपद अन्तर्गत गोसदनों को भरण–पोषण मद में दिये जाने वाले राजकीय अनुदान हेतु बजट मांग प्रपत्र जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरान्त उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को समयान्तर्गत प्रेषित करना होगा।

3. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने जनपद अन्तर्गत गोसदनों की मासिक प्रगति आख्या निर्धारित प्रारुप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

4. उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड द्वारा समस्त जनपदों की संकलित बजट मांग का प्रस्ताव समयान्तर्गत शासन को प्रेषित किया जायेगा। शासन द्वारा भरण–पोषण अनुदान निर्गत होने पर जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित संस्थाओं का उक्त अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से दिया जायेगा।

5. शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरुप जनपद स्तरीय समिति को आबंटित धनराशि जनपद अन्तर्गत संचालित गोसदनों को माह में उपलब्ध शरणागत गोवंशीय पशुओं की औसत संख्या के अनुरुप देय होगी।

6. पंजीकृत गोसदनों में गोवंशीय पशुओं की भली प्रकार देख–रेख एवं नियमित रुप से जांच किये जाने हेतु प्रत्येक गोसदन में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने अनिवार्य होंगे।

7. जनपद स्तरीय समिति द्वारा किसी भी गोसदन को अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा एवं माह मार्च का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

8. गोसदन में क्षमता से अधिक गोवंशीय पशु होने की दशा में क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी की आख्या के आधार पर, जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लेते हुए (सम्बन्धित स्थानीय निकायों के माध्यम से) गोवंश को अन्यत्र मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों की क्षमता के आधार पर विस्थापित किया जायेगा तथा गोसदन को मानक संख्या के अनुरुप ही राजकीय अनुदान देय होगा।

9. मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को भरण–पोषण एवं निर्माण मद में दिये गये राजकीय अनुदान का समायोजन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से सत्यापित लेखा परीक्षण के उपरान्त सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

10. सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्यता प्रदत्त पशुकल्याण संस्था से रु0 100/- के अनुबन्ध पत्र (समय–समय पर यथासंशोधित) में यह लिखित रुप से प्राप्त कर लिया जायेगा कि, भरण–पोषण मद में निर्गत की गई राजकीय अनुदान धनराशि का उपयोग निराश्रित गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण हेतु ही किया जायेगा।

11. शासन/प्रशासन/उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड द्वारा अधिकृत कोई भी प्रतिनिधि संस्था का किसी भी समय में निरीक्षण हेतु सक्षम होगा। इस क्रम में संस्था द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा।

Digitally signed by
Rajendra Kumar Bhatt
Date: 02-06-2025
12:19:50

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 1518/XV–1/2025–89844

.. ब्रड़ोनी
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,
निदेशक,
पशुपालन विभाग
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–01

देहरादून : दिनांक 12 अगस्त 2025।

विषय : गोसदनों के संचालन हेतु जनपद स्तरीय समिति एवं विकासखण्ड स्तरीय समिति के गठन एवं कार्य/दायित्वों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक, पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्रांक–1427/दिनांक–11 जुलाई 2025 एवं संयुक्त निदेशक, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून के पत्र संख्या–1623–30/दिनांक–23 जुलाई 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से गोसदनों के संचालन हेतु जनपद स्तरीय समिति एवं विकासखण्ड स्तरीय समिति के गठन किये जाने एवं समितियों को कार्य/दायित्व आवंटित किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–909/XV-I/25/63495 दिनांक–02 जून 2025 द्वारा निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों के निर्माण एवं उनके भरण–पोषण हेतु नीति प्रख्यापित की गयी है। उक्त प्रख्यापित नीति के कम में पशुपालन निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोसदनों के संचालन हेतु जनपद स्तरीय समिति एवं विकासखण्ड स्तरीय समिति का गठन एंव उनके कार्य/दायित्व निम्नवत् निर्धारित किये जाते हैं:–

जनपद स्तरीय समिति का गठन–

कमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
3.	नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निकाय	सदस्य
4.	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
5.	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	तकनीकी सदस्य

AHS-O/04/??/2025-XV-I-Animal Husbandry Department (Computer No. 89844)

1. निराश्रित गोवंश को शरण दिये जाने हेतु गोसदन शरणालयों की स्थापना हेतु भूमि क चिन्हीकरण।
2. जिलान्तर्गत विभिन्न विभागों के साथ समन्वयन स्थापित करते हुए निराश्रित गोवंशीः पशुओं की पशुगणना।
3. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त गोसदनों के आवेदन प्रकरणों क परीक्षण एवं अनुमोदन।
4. गोसदनों के पंजीकरण हेतु जिला स्तरीय समिति का अनुमोदन अनिवार्य होगा। जिल स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन उपरान्त आवेदनों का प्रेषण उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर स्तर पर किया जायेगा।
5. गोसदन के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का चयन।
6. Gap Funding हेतु धनराशि आबंटन (श्रोतः शहरी विकास विभाग, नाबार्ड, जिल माइनिंग फण्ड Unticd Fund, CSR आदि।
7. चिन्हांकित भूमि पर निराश्रित गोवंश हेतु गोसदन की स्थापना के लिये आंगणन तैयार कर TAC कराने के उपरान्त Gap Funding के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करारे जाने के पश्चात अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव का शासन को प्रेषण।
8. गोशाला निर्माण हेतु बजट उपलब्ध हो जाने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से यथासमर कार्य पूर्ण कराना।
9. निराश्रित गोवंश हेतु गोसदन की स्थापना एवं संचालन की प्रकिया का जनपद स्तर पर मासिक मूल्यांकन।
10. डीबीटी के माध्यम से गोसदनों को भरण–पोषण मद में दिये जाने वाले राजकीय अनुदान का भुगतान करना।

<u>विकासखण्ड स्तरीय समिति का गठन—</u>

कमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी	सदस्य
3.	क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी	सदस्य

<u>कार्य एवं दायित्व—</u>

1. क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी (Jurisdictional Veterinary Officer) के माध्यम से नवीन प्राप्त गोसदनों की जांच आख्या/पूर्व से संचालित गोसदनों की मासिक निरीक्षण आख्या का प्रेषण।
2. वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी (Jurisdictional Veterinary Officer) के माध्यम से नवीन गोसदनों का निरीक्षण एवं पूर्व से संचालित गोसदनों की मासिक प्रगति का प्रेषण।

3– कृपया उक्त नीति का प्रभावी क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
Santosh Badoni
Date: 12-08-2025
12:35:55

भवदीय,

(सन्तोष बडोनी)
अपर सचिव।

संख्या–1378/XV-1/2025/89844 तद्दिनॉकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1.सचिव, शहरी विकास विभाग/पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2.वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री,उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय वं संज्ञानार्थ।
4. मण्डलायुक्त कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, शहरी विकास/पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
7. अनुभाग अधिकारी, शहरी विकास अनुभाग–02/पंचायतीराज अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
8. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
9. समस्त पशुचिकित्साधिकारी उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
Karam Ram
Date: 12-08-2025
17:01:50

आज्ञा से,

(करम राम)
अनुसचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग-01
संख्या- 67 /XV-1/23/7(14)22/30254
देहरादून : दिनांक 16/ /2024

अधिसूचना/प्रकीर्ण

2

राज्यपाल उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 की धारा 13 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त), 1904 की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण नियमावली, 2011 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2024 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 29 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण नियमावली, 2011 में नीचे स्तम्भ-1 के विद्यमान नियम 29 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
29.(1) समस्त आवेदन प्रकरणों की सक्षम अधिकारियों के माध्यम से जाँच कराई जायेगी। सम्यक् जाँचोपरान्त निम्नलिखित चयन समिति द्वारा राजकीय सहायता अनुदान हेतु संस्थाओं का चयन किया जायेगा:-	समस्त आवेदन प्रकरणों की जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के माध्यम से जाँच कराई जायेगी। सम्यक् जाँचोपरान्त निम्नलिखित चयन समिति द्वारा राजकीय अनुदान हेतु संस्थाओं का चयन पशुपालन विभाग द्वारा निर्गत संगत शासनादेशों के आलोक में किया जायेगा:-
(क) पशुपालन मंत्री उत्तराखण्ड सरकार – अध्यक्ष	(क) जिलाधिकारी – अध्यक्ष
(ख) अध्यक्ष, उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग – सदस्य	(ख) मुख्य विकास अधिकारी – सदस्य सचिव
(ग) उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग – सदस्य	(ग) नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निकाय – सदस्य
(घ) उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड – सदस्य	(घ) अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत – सदस्य
(ङ) सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन – सचिव	(ङ) समस्त उपजिलाधिकारी – सदस्य
(च) विभागाध्यक्ष, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड – सदस्य सचिव	(च) मुख्य पशुचिकित्साधिकारी – तकनीकी सदस्य
(छ) सचिव, उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग – सदस्य	(छ) जिला विकास अधिकारी – सदस्य
(ज) सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड – सदस्य	(ज) जिला पंचायती राज अधिकारी – सदस्य
	(झ) प्रभागीय वनाधिकारी – सदस्य

(डा० बी०वी०आर०सी० पुरुषोत्तम)
सचिव

उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड, देहरादून
(मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन गठित संस्था) तीसरा तल, पशुधन भवन, मोथरोवाला रोड, देहरादून - 248001
फोन नं०: 0135 2552 850 फैक्स नं०: 2532 811 E-mail: uttarakhandawb@gmail.com
website : http://ahd.uk.gov.in/pages/display/132-uttarakhand-animal-welfare-board

5500/ERK

प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी
हरिद्वार

कार्यालय पत्रांक : UAWB (204 Main File)/2025-26
संख्या 1658-62 दिनांक 24 जुलाई, 2025

समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय : गोसदन संचालन हेतु अनुबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि, पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 1847--53 दिनांक 11 अगस्त, 2023 को निरस्त करते हुए, निराश्रित गोवंशीय पशुओं को शरण दिये जाने हेतु सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 909/XV-1/25/63495 दिनांक 02 जून, 2025 के क्रम में जनपद स्तरीय समिति द्वारा नवनिर्मित गोसदनों के संचालन हेतु अनुबन्ध किया जाना है। उक्त के क्रम में गैरसरकारी संस्था के प्रतिस्पर्धात्मक/तुलनात्मक चयन के क्रम में प्रस्तावित संशोधित मानक निम्न प्रकार प्रस्तुत किये गये :-

क्र0	प्रस्तावित प्रतिस्पर्धात्मक/तुलनात्मक चयन मानक		प्रस्तावित अंक
	शीर्षक	उपशीर्षक	
1.	नवनिर्मित गोसदन के संचालन हेतु अनुबन्ध की जाने वाली गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था का उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड अन्तर्गत पंजीकरण	—	50

... AHD Directorate-Directorate of Animal Husbandry Dept (Computer No. 33431)
... by ... VETERINARY OFFICER GRADE 1, Directorate of Animal Husbandry Dept on 24/07/2025 01:33 pm

2	भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के तहत गैरसरकारी संस्था के रूप मे पंजीकरण	—	20
3	उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड अन्तर्गत पंजीकरण / भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड पंजीकरण का स्थान	सम्बन्धित जनपद अन्तर्गत	100
		उत्तराखण्ड अन्तर्गत	60
		उत्तराखण्ड से बाहर	20
4	उत्तराखण्ड शासन अथवा उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड अथवा भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड अथवा नगर निकाय अन्य स्थानीय निकाय के अभिलेखों के अनुरुप गत वित्तीय वर्ष में शरणागत गोवंश की औसत संख्या	2,500 से अधिक	100
		2,001 - 2,500	80
		1,501 - 2,000	60
		1,001 - 1,500	40
		501 - 1,000	20
		101 - 500	10
		25 - 100	05
5.	निराश्रित परित्यक्त गोवंश को शरण दिये जाने हेतु आवेदक संस्था का एक्ट के तहत पंजीकरण उपरान्त अनुभव	05 वर्ष से अधिक	100
		05 वर्ष से कम	50
6.	उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड / भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड अन्तर्गत पंजीकृत संस्था जिनके विरुद्ध शिकायती प्रकरण विचाराधीन हो		(-50)

अतः उक्त क्रम में अपने जनपद अन्तर्गत गोसदनों के संचालन हेतु चिन्हीकृत भूमि पर गोसदन शरणालयों के संचालन हेतु विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए निविदा के माध्यम से उक्त प्रकरण पर यथाशीघ्र कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

Digitally signed by
Basava Venkata Rama Chandra Purushottam
Date: 24-07-2025 09:46:47

(डा० बी०वी०आर०सी० पुरुषोत्तम)
निदेशक,
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. - निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. - सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
3. - समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. - अपर निदेशक गढ़वाल मण्डल, पौडी गढ़वाल/कुमायू मण्डल नैनीताल।

Digitally signed by
UDAI SHANKAR
Date: 24-07-2025
11:42:26

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

2910 ...13
26/06/23

ई पत्र संख्या– 36254/XV-1/23/7(14)22

प्रेषक,

डा० बी०वी०आर०सी० पुरूषोत्तम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–01 देहरादून : दिनॉक 26 जून, 2023।

विषय : निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों की स्थापना व संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य में निराश्रित गोवंश की संख्या में निरन्तर वृद्धि के दृष्टिगत जहॉ एक तरफ उनकी सडक दुर्धटना की संख्या में वृद्धि हो रही है, वही दूसरी ओर विभिन्न शहरों में यातायात अवरोध की स्थिति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में फसल क्षति की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। इसके अतिरिक्त कतिपय विभागों द्वारा गोवंश हेतु दी जाने वाली अनुदान की सहायता धनराशि में भी अन्तर है। वर्तमान में जहॉ एक तरफ पशुपालन विभाग द्वारा गोसदनों को प्रति गोवंश प्रतिदिन रू0 30/– का अनुदान भरण–पोषण हेतु प्रदान किया जा रहा है वही शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत कतिपय निकायों द्वारा रू0 50/– प्रति गोवंश प्रतिदिन तथा कुछ निकायों द्वारा रू0 80/– प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से भरण–पोषण अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

अतः उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत निराश्रित/बेसहारा गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराने, आश्रय स्थल पर उनके भरण–पोषण की व्यवस्था/संरक्षित गोवंश को विभिन्न बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण एवं समुचित चिकित्सा व्यवस्था, विभिन्न नर गोवंश के बन्ध्याकरण तथा संरक्षित मादा गोवंश को प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्हें स्वास्थ्यकर पर्यावरणीय दशाएं तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु गोसदनों की स्थापना, संचालन तथा उनके आवश्यक वित्तीय प्रबन्धन हेतु निम्नवत् प्रावधान निर्धारित किया जाता है:–

1. उत्तराखण्ड राज्य में गोसदनों में विद्यमान निराश्रित गोवंशीय पशुओं की संख्या को सम्मिलित करते हुए शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में विचरण कर रहे गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण हेतु निर्धारित रू 30 प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से दी जा रही धनराशि को बढ़ाकर रू0 80 प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से अनुदान दिया जायेगा।
2. गोसदनों की स्थापना हेतु एन0जी0ओ0 को मात्र प्रबंधकीय कार्यो हेतु भूमि दिये जाने की अधिकारिता संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को होगी। गोसदनों के संचालन के लिए एन0जी0ओ0 मॉडल अपनाया जायेगा। इस सम्बन्ध में इस क्षेत्र में पूर्व से ही कार्य कर रहे

CS CamScanner

10/2023

एन0जी0ओ0 को वरीयता दी जायेगी तथा यदि उनके स्तर पर समाधान नहीं हो पाता है तो नये एन0जी0ओ0 के माध्यम से गोसदनों के संचालन की कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी एन0जी0ओ0 के पास पूर्व से भूमि उपलब्ध होगी तो उस पर निर्माण हेतु धनराशि की कमी होने पर राज्य सरकार निर्माण कार्य हेतु व्यय (Gap Funding) धनराशि वहन करेगी। गोसदन स्थापित किये जाने हेतु चिन्हित भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार का होगा, मात्र प्रबंधकीय कार्यो हेतु यथानिर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से चयनित उपयुक्त एन0जी0ओ0 से एमओयू/अनुबन्ध किया जायेगा।

3. निराश्रित गोवंश को भरण–पोषण हेतु दिये जाने वाले अनुदान के लिए पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा तथापि इस निमित्त बजट व्यवस्था नगरीय क्षेत्रों से पकड़े गये गोवंश के निमित्त शहरी विकास विभाग के आय–व्ययक में तथा ग्रामीण क्षेत्रों से पकड़े जाने वाले गोवंश हेतु पशुपालन विभाग के आय–व्ययक में बजट प्राविधान कराया जायेगा। शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत इस हेतु प्राविधानित अनुदान तथा आबकारी विभाग के अन्तर्गत सेस के माध्यम से प्राप्त धनराशि को पशुपालन विभाग द्वारा व्यय किया जायेगा। उक्त अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से दिया जायेगा।
4. पशुपालन विभाग के अन्तर्गत उक्त कार्यो को पूर्व से कर रहे 'उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड' को और सशक्त किया जायेगा। इस हेतु इसके अन्तर्गत एक पी0एम0यू0 स्थापित करते हुए युवा पेशेवरों के चार पद सृजित कर उनकी भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से की जायेगी।
5. गोसदनों के पूँजीगत निर्माण कार्यो के निमित्त Gap Funding हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी के नेतृत्व में शहरी विकास विभाग, नाबार्ड, जिला माइनिंग फण्ड तथा अनटाईड फण्ड आदि के माध्यम से बजट व्यवस्था की जायेगी।
6. समस्त नगरीय निकाय नगरीय परिधि से बाहर भी गोसदनो हेतु आवश्यक अनुदान/सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे। नगरीय तथा निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में गोवंश को पकड़ कर गोसदनों में पहुँचाने हेतु निकायो के स्तर पर हाईड्रोलिक वाहन/Cattle Lifting Vehicle की व्यवस्था की जायेगी।

2. उक्त के क्रम में गोसदनों के संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निम्नवत् निर्धारित की जाती है:–

उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत निराश्रित गोवंश को शरण दिये जाने हेतु शासनादेश संख्या: 1337 दिनांक 26 सितम्बर, 2022 के अनुरूप गठित की गयी विभिन्न स्तर की समितियों द्वारा निम्न दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा :–

1– शासन स्तरीय समिति

क्र0	अधिकारी का नाम	पदनाम

CamScanner

1	अपर मुख्य सचिव/सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2	सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3	सचिव पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4	सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5	निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड/ पदेन सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड	सदस्य सचिव

कार्य एवं दायित्व –

1. जनपद स्तरीय समितियों की समीक्षा एवं दिशा–निर्देशन।
2. जनपद स्तरीय समिति द्वारा चयनित किये गये गोसदनों का अनुमोदन।
3. जिलाधिकारी के द्वारा प्रेषित बजट मांग के सापेक्ष, सक्षम स्तर से बजट अवमुक्त कराया जाना।

2– जनपद स्तरीय समिति

क्र०	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
3	नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निकाय	सदस्य
4	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
5	समस्त उपजिलाधिकारी	सदस्य
6	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	तकनीकी सदस्य
7	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
8	जिला पंचायती राज अधिकारी	सदस्य
9	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य

कार्य एवं दायित्व –

1. निराश्रित गोवंश को शरण दिये जाने हेतु गौशाला शरणालयों की स्थापना हेतु भूमि का चिन्हीकरण।
2. जिलान्तर्गत विभिन्न विभागों के साथ समन्वयन स्थापित करते हुए निराश्रित गोवंशीय पशुओं की पशुगणना।
3. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त गोसदनों के आवेदन प्रकरणों का परीक्षण।
4. परीक्षणोपरान्त अनुमोदन हेतु गोसदनों के आवेदन शासन स्तर पर प्रेषण।
5. Gap Funding हेतु धनराशि आबंटन (स्रोत:– शहरी विकास विभाग, नाबार्ड, जिला माइनिग फण्ड, Untied Fund, CSR आदि)
6. चिन्हाकित भूमि पर निराश्रित गोवंश हेतु गोशाला शरणालय की स्थापना के लिये आंगणन तैयार करवाकर शासन को बजट मांग का प्रेषण।

CamScanner

7 निराश्रित गोवंश हेतु गोशाला शरणालय की स्थापना एवं संचालन की जनपद स्तर पर त्रैमासिक समीक्षा।

3– विकासखण्ड स्तरीय समिति

क्र0	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	सदस्य
3	पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–1	सदस्य
4	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य सचिव

कार्य एवं दायित्व –

1. निराश्रित गोवंश हेतु गोशाला शरणालय की स्थापना के लिये भूमि का चिन्हीकरण उपरान्त, जिलाधिकारी स्तर पर अनुमोदनार्थ प्रस्तावों पर संस्तुति।
2. गैरसरकारी संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का संकलन एवं परीक्षण।
3. परीक्षणोपरान्त गैरसरकारी संस्था के आवेदन परीक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति को संस्तुति सहित प्रेषण।
4. जिलाधिकारी स्तर पर बजट मांग का प्रस्ताव प्रेषण।
5. क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी (Jurisdictional Veterinary Officer) के माध्यम से प्राप्त गोसदनों के मासिक निरीक्षण की समीक्षा।

मानक संचालन प्रक्रिया

Step 1– अलाभकर निराश्रित गोवंश की गणना – जिला प्रशासन/ शहरी विकास विभाग/ पंचायतीराज विभाग/ ग्राम्य विकास विभाग/ पशुपालन विभाग के समन्वय से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित अलाभकार गोवंश की संख्या निर्धारण हेतु सर्वेक्षण।

Step 2 – भूमि का चिन्हांकन – जिला प्रशासन द्वारा निराश्रित अलाभकर गोवंश को शरण दिये जाने हेतु गोशाला शरणालय की स्थापना के लिये जनपद अन्तर्गत भूमि का चिन्हीकरण।

Step 3 – मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी संस्थाओं एवं नवीन गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा चिन्हांकित भूमि पर निराश्रित अलाभकर गोवंश को शरण दिये जाने हेतु गोसदन स्थापना हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से आमंत्रण (Invitation of Expression of Interest for Establishment of Gaushala Shelter for Uneconomic Homeless Cattle)।

Step 4 – गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा प्रेषित अभिरूचि की अभिव्यक्ति का निस्तारण (Processing of Expression of Interest) :–

023

Category I- सरकारी भूमि पर, पूर्व से कार्यरत गैरसरकारी मान्यताप्रदत्त संस्था द्वारा संचालित गोसदनों को भूमि का आबंटन।

(क) पूर्व से संचालित गोसदन का क्षमता विस्तार।

(ख) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हांकित नवीन भूमि पर गोसदन की स्थापना।

मानक –

- भूमि/गोसदन परिसर का सशर्त उपयोग।
- चयनित गोसदन द्वारा गोंवश के उचित भरण–पोशण/देख–रेख एवं प्रबन्धन हेतु राजकीय अनुदान के अतिरिक्त अवशेष व्ययों का निर्वहन, स्वयं के संसाधनों द्वारा किये जाने के क्रम में शपथपत्र।
- उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 तथा इस अधिनियम अन्तर्गत प्राख्यापित नियमावलियों/संशोधनों तथा तद्क्रम में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में वर्णित प्राविधानों के अनुपालन के क्रम में में संकल्पबद्धता का शपथपत्र।

Category II- नवीन गैरसरकारी संस्थाओं के माध्यम से गोसदन का संचालन :–

अलाभकर गोवंश (बृद्ध बीमार, विकलांग, अनुत्पादक, निराश्रित एवं पुलिस–प्रशासन द्वारा गो तस्करों से जब्त किये गये न्यायायिक प्रकरणाधीन केस प्रोपर्टी गोवंश) को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा 'उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007' के प्राविधानों के आलोक में नवीन आवेदक संस्था हेतु, पूर्व से संचालित मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों हेतु निर्धारित मानकों को सम्मिलित करते हुए निम्न शर्तो के आधार पर गोवंश संरक्षण हेतु भूमि उपयोग की अनुमति दिया जाना प्रस्तावित है :–

- निर्धारित आवेदन प्रपत्र के माध्यम से आवेदन।
- गो सदनों की स्थापना हेतु गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के निम्न आवेदन स्वीकार होंगे जोकि :–

(क) सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो अथवा

(ख) अलाभकर गोवंश के कल्याण हेतु बिना लाभ अर्जन करते हुए कोई अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत धमार्थ संस्था हो अथवा

(ग) पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड एवं राष्ट्रीयकृत कानून के तहत पंजीकृत संस्था हो अथवा

(प) कानून के तहत पंजिरस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट हों।

- आवेदक संस्था, समस्त शरणागत गोवंश की भली प्रकार देख–रेख भरण पोषण हेतु राजकीय आंशिक सहायता/भरण–पोषण अनुदान के अतिरिक्त समस्त अवशेष व्ययों को निर्वहन कर पाने में सक्षम, कृतसंकल्प एवं बचनबद्ध हो।

Category III- शहरी विकास विभाग/ पंचायतीराज विभाग/ वन विभाग के अन्तर्गत निकायों (नगर निगमों/नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों/जिला पंचायतों/ग्राम पंचायतों/वन पंचायतों) द्वारा पूर्व से संचालित किये जा रहे कांजी हाउस/गोशाला शरणालयों को, पंजीकृत एवं राजकीय मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालन :—

शहरी विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग/वन विभाग के अन्तर्गत निकायों (नगर निगमों/नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों/जिला पंचायतों/ग्राम पंचायतों/वन पंचायतों) द्वारा पूर्णतः स्वयं के संसाधनों (शतप्रतिशत वित्त पोषण/कार्मिकों की नियुक्ति) से कांजी हाउस/गोशाला शरणालयों के संचालन किये जाने की अपेक्षा यह कार्य, यथासम्भव पंजीकृत एवं राजकीय मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाना उचित होगा। इस क्रम में निम्न शर्तों के अनुरूप गैरसरकारी संस्थाओं का चयन किया जायेगा :—

- गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा पूर्व से संचालित कांजी हाउस/गोशाला शरणालय संचालन हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से आवेदन।
- जिला स्तरीय समिति के साथ समन्वय बनाते हुए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण/ समीक्षा एवं अनुशंसा।
- अर्हताऐं पूर्ण करने उपरान्त गोसदन संचालन हेतु गैरसरकारी संस्था का चयन।
- गैरसरकारी संस्था के साथ गोसदन सचालन हेतु अनुबन्ध।
- क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी (Jurisdictional Veterinary Officer) के माध्यम से प्राप्त गोसदनों के मासिक निरीक्षण की समीक्षा।

Category IV- निजी भूमि पर पूर्व से संचालित मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों का सुदृढ़ीकरण —

- आवेदक द्वारा स्वंय की भूमि पर संचालित गोसदन।
- आवेदक द्वारा दान से प्राप्त भूमि पर संचालित गोसदन।
- आवेदक द्वारा न्यूनतम 10 वर्षों के लिए लीज/किराये पर ली गयी भूमि पर संचालित गोसदन।
- आवेदक द्वारा पूर्व से संचालित गोसदन पर भूमि की उपलब्धता के आधार पर गोसदन में

2023

शरणागत निराश्रित गोवंशीय पशुओं की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप गोसदन के क्षमता विस्तार के क्रम में निर्माण हेतु आंगणन तैयार कर जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रेषित करना।

Step 5 – जिला स्तरीय समिति द्वारा किसी भी सरकारी संस्था को गोशाला निर्माण हेतु कार्य का आबंटन।

- गोसदन निर्माण हेतु सरकारी संस्था के माध्यम से आंगणन तैयार कराया जाना।
- आंगणन के आधार पर शासन को बजट अवमुक्त हेतु प्रस्ताव प्रेषण।
- समय–समय पर गोशाला निर्माण कार्य का विकासखण्ड स्तरीय समिति के माध्यम से निरीक्षण कराना।
- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त सरकारी संस्था से सदुपयोग किये गये बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना।

<u>गैरसरकारी संस्थाओं के माध्यम से गोसदन संचालन के क्रम में आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु मानक :–</u>

- समस्त आवेदक संस्था, उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 तथा इस अधिनियम अन्तर्गत प्राख्यापित नियमावलियों/संशोधनों तथा तदक्रम में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में वर्णित कानूनी प्राविधानों के अनुपालन हेतु बाध्य होगी।
- संस्था के प्रस्तावानुरूप निर्धारित गोवंश की संख्या के बराबर अलाभकर गोवंश को शरण देने हेतु प्रतिबद्ध होगी। तदक्रम में संस्था, पुलिस प्रशासन/स्थानीय निकाय अथवा अन्य प्राधिकारियों को गोवंश को शरण दिये जाने के क्रम में सहयोग करने हेतु बाध्य होगी।
- आवेदक संस्था द्वारा गौशाला में न्यूनतम कवर्ड एरिया (40 वर्ग फीट प्रति गोवंश) के आधार पर निर्धारित गोवंशीय पशुओं को रखने/स्वीकार करने हेतु बाध्य होगी।
- मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को भरण–पोषण एवं निर्माण मद में दिये गये राजकीय अनुदान का समायोजन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से सत्यापित लेखा परीक्षण के उपरान्त सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक संस्था द्वारा गोवंश के उचित भरण–पोषण/देख–रेख एवं प्रबन्धन तथा अन्य समस्त व्ययों को अनुदान में दी गयी राजकीय सहायता से अतिरिक्त व्यय होने पर गोसदन स्वयं के संसाधनों से अथवा धमार्थ/दान के माध्यम से निर्वहन करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
- सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्यता प्रदत्त पशुकल्याण संस्था से रू० 100/- के अनुबन्ध पत्र में यह लिखित रुप से प्राप्त कर लिया जायेगा कि, भरण–पोषण मद में निर्गत की गई राजकीय अनुदान धनराशि का उपयोग गोसदन द्वारा निराश्रित गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण/प्रबन्धन हेतु ही सदुपयोग किया जायेगा।
- शासन/प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई भी प्रतिनिधि संस्था का किसी भी समय में निरीक्षण हेतु सक्षम होगा। इस क्रम में संस्था द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा।
- गेवंश प्रबन्धन/लेखा परीक्षण/भू उपयोग में अनियमितता पाये जाने पर उत्तराखण्ड

CamScanner

शासन/जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय द्वारा आवेदक संस्था को 16 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए आदेशित कर सकेगा, स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट न होने की स्थिति में या किसी भी विवाद की दशा में शासन का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसी स्थिति में कभी भी भूमि आवंटन निरस्त कर गोवंश का प्रबंधन/भू. अथवा गोसदन परिसर के उपयोग का दायित्व किसी भी अन्य अर्ह संस्था को हस्तान्तरित करने हेतु सक्षम होगा। ऐसी दशा में शासन का निर्णय अन्तिम होगा।

- मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों में क्षमता से अधिक गोवंशीय पशु होने पर, क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी की आख्या के आधार पर, गोवंश को अन्यत्र मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों की क्षमता के आधार पर शहरी विकास विभाग/जिला पंचायत के माध्यम से विस्थापित किया जायेगा।
- गैरसरकारी संस्था द्वारा संचालित गोसदनों में संदिग्ध संख्या में गोवंशीय पशुओं की क्षति होने पर विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सम्बन्धित गोसदन की जांच की जायेगी। समिति द्वारा अपनी जांच आख्या जनपद स्तरीय समिति को प्रेषित की जायेगी।
- जनपद स्तरीय समिति की अनुशंसा पर जिला पुलिस/प्रशासन तथा स्थानीय निकाय द्वारा यथोचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

<u>जिला प्रशासन/राज्य सरकार स्तर से नवीन गोसदन शरणालय स्थापना किये जाने हेतु चरणबद्ध प्रक्रिया</u>

क्र०सं०	कार्यों का विवरण	कार्यदायी अधिकारी	समयावधि
प्रथम चरण	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विचरण कर रहें निराश्रित अलामकार गोवंश की गणना हेतु सर्वेक्षण	• जिलाधिकारी द्वारा नियुक्ति किए गये अधिकारी • नगर आयुक्त./अधिशासी अधिकारी • अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत • जिला विकास अधिकारी • जिला पंचायतीराज अधिकारी • सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	दिनांक 15 जून, 2023 से दिनांक 30 जून, 2023 तक।
द्वितीय चरण	नवीन गोसदन शरणालय स्थापना किये जाने हेतु भूमि का चिन्हीकरण	• जिलाधिकारी • उपजिलाधिकारी	दिनांक 30 जून, 2023 से दिनांक 15 जुलाई, 2023 तक।
तृतीय चरण	गोसदन संचालन किये जाने हेतु निविदा के माध्यम से गैर–सरकारी संस्थाओं से आवेदन प्राप्त करना	• जिलाधिकारी • मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	दिनांक 15 जुलाई., 2023 से दिनांक 30जुलाई, 2023 तक।
चतुर्थ	चिन्हांकित भूमि को गैर सरकारी संस्थाओं को	• जिलाधिकारी	दिनांक 01 अगस्त, 2023 से दिनांक 31

CS CamScanner

चरण	आंबटित किया जाना।	• उपजिलाधिकारी	अगस्त, 2023 तक।
पंचम चरण	गोशाला शरणालय का निर्माण	• अनुमोदन उपरांन्त गैर–सरकारी संस्था/ • जिलाधिकारी • शहरी विकास विभाग	दिनांक 01 सितम्बर, 2023 से दिनांक 30 नवम्बर, 2023 तक।
छष्ठ चरण	नये गोसदन की स्थापना एवं संचालन की शुरुआत	• अनुमोदित की गयी गैर–सरकारी संस्था	माह दिसम्बर से

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों की स्थापना व संचालन हेतु उपरोक्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Signed by Basava Venkata Rana Chandra Purushottam
Date: 26-08-2023 18:09:12
(डॉ. बी0वी0आर0सी0 पुरुषोत्तम)
सचिव।

CamScanner